**डीआईवाई (डू-इट-योरसेल्फ) वसीयत का नमूना।**

**वसीयत लिखना क्यों जरूरी है?**

वसीयत उन बेहद अहम दस्तावेजों में से एक है जिसमें आप व्यक्तिगत रूप से शामिल होना चाहेंगे या उसे खुद ही लिखना चाहेंगे, क्योंकि इससे आप:

1. अपनी सभी संपत्तियों व मूल्यवान वस्तुओं को मूल्यांकन और सूचीबद्ध कर पाएँगे;
2. यह फैसला ले पाएँगे और चुन पाएँगे कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी मिल्कियत किसे मिलेगी; और
3. अपने उत्तरजीवियों को सक्षम बना पाएँगे कि वे बिना किसी परेशानी के आपके द्वारा छोड़ी गई/वसीयत की गई संपत्ति का स्वामित्व सुविधाजनक ढंग से हस्तांतरित कर पाएँ।

यदि वसीयत लिखे बिना आपकी मौत हो जाती है (कानूनी भाषा में इसे *डाइंग इंटीस्टेट* यानी निर्वसीयती मौत कहते हैं), तो आपकी संपत्ति का वितरण लागू उत्तराधिकार कानून के अनुसार किया जाएगा, न कि उस तरीके से जैसा आप अपने जीवन-काल के दौरान चाहते थे। यह आमतौर पर अदालती हस्तक्षेप और अनुमोदन या कानूनी मुकदमों में बदल जाता है, जिससे आमतौर पर उत्तराधिकार का दावा करने वालों के बीच न सिर्फ विवाद या कटुता पैदा होती है बल्कि आगे चलकर पारिवारिक संबंधों में दरार पड़ सकता है।

**वसीयतनामा लिखने के लिए दिशानिर्देश**

1. भारत में वसीयत तैयार करना बहुत आसान है और यह सामान्यतः "डू-इट-योरसेल्फ" ("**डीआईवाई**") प्रोजेक्ट यानी "अपने आप करने" जैसा हो सकता है। आपको वसीयत का मसौदा तैयार करने के लिए हमेशा एक वकील की जरूरत नहीं है, खासकर यदि यह '**सामान्य व्यक्तिगत वसीयत**' है; हालाँकि, यदि आपको वसीयत के लिए कानूनी सलाह की आवश्यकता महसूस होती है, तो आप एक योग्य वकील से सलाह ले सकते हैं। हम आपको एक योग्य वकील से मिलवाने में मदद कर सकते हैं।
2. आप अपनी भाषा में वसीयत बना सकते हैं लेकिन उसमें लिखी गई बातें आपके इरादों को स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए।
3. कोई भी वसीयत केवल तभी मान्य होगी जब उस पर वसीयतकर्ता (यानी आप, वसीयत बनाने वाला व्यक्ति) के हस्ताक्षर हों और दो गवाहों ने उसे साक्ष्यांकित किया हो।
4. जरूरी नहीं कि वसीयत पंजीकृत ही हो, लेकिन ऐसा कराना उचित रहता है। अपंजीकृत वसीयत को कभी भी निरस्त कर एक नई वसीयत बनाई जा सकती है, लेकिन उस पर वसीयतकर्ता और गवाहों के उपयुक्त हस्ताक्षर होने चाहिए।
5. वसीयत के परिशिष्ट (आमतौर पर इसकी शर्तों में संशोधन करने के लिए) को कोडिसिल (कोडपत्र) कहा जाता है, और इस पर वसीयतकर्ता और दो गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

**व्यक्तिगत विवरण (अनिवार्य)**

आपकी सही ढंग से और पूरी तरह से पहचान हो सके, और कोई अस्पष्टता भी न रहे, इसके लिए कृपया निम्न विवरण सही ढंग से दर्ज करें:

1. आपका (यानी वसीयतकर्ता का) पूरा नाम, जैसा कि आधार कार्ड या पासपोर्ट आदि 'पहचान के वैध प्रमाण' में दर्ज है;
2. आपके पिता का पूरा नाम, जैसा कि आधार कार्ड या पासपोर्ट आदि 'पहचान के वैध प्रमाण' में दर्ज है;
3. आपका आवासीय पता, जैसा कि आधार कार्ड/पासपोर्ट या यूटिलिटी बिल आदि 'निवास के वैध प्रमाण' में दर्ज है;
4. नागरिकता
5. नाबालिगों द्वारा की वसीयत कानूनी तौर पर वैध नहीं हो सकती है; इसलिए, आपको यह दर्ज करना होगा कि आप एक वयस्क हैं। इसके लिए आपको अपनी जन्मतिथि और उम्र का उल्लेख करना होगा।
6. आपको यह भी दर्ज करना होगा कि आपने पूरे होशो-हवास में वसीयत बनाई है, और यह भी कि किसी अनुचित प्रभाव या जोर-जबरदस्ती के बिना वसीयत बनाई गई है।
7. आपको यह उल्लेख करना होगा आप जिस वसीयत को निष्पादित कर रहे हैं, वह आपकी अंतिम वसीयत और वसीयतनामा है; और इस वसीयत के आधार पर पिछली सभी वसीयतें और कोडिसिल निरस्त किए/हो जाते हैं।

**संपत्तियों और लाभार्थियों का विवरण (अनिवार्य)**

1. आपकी वसीयत में संपत्ति को 'बिक्वीथ करने' (*यानी वसीयत द्वारा किसी को संपत्ति देना/सौंपना*) का एक खंड होना चाहिए, चाहे वह अचल संपत्ति (जैसे कि जमीन और भवन) हो या चल संपत्ति (जैसे कि कार, बैंक जमा, शेयर, म्युचुअल फंड यूनिट आदि)। भ्रम की स्थिति से बचने के लिए, यह उचित होगा कि वसीयत की एक अनुसूची में अपनी सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करें और उनके आगे लाभार्थियों के नाम व उनका हिस्सा दर्ज कर दें। नीचे हमारे द्वारा वसीयत का एक प्रारूप दिया गया है जिसमें इस तरह की अनुसूची शामिल है।
2. आपकी वसीयत में निम्न खंड निहित होने चाहिए: -
3. आपके परिवार के सदस्यों या ऐसे अन्य व्यक्तियों या संघों या ट्रस्टों आदि (**लाभार्थी**) के लिए संपत्ति को 'बिक्वीथ करने' का एक खंड, जिसमें उनका पूरा नाम, पहचान का विवरण आदि दर्ज हो।
4. क्या आप संपत्ति से होने वाली आय एक या अधिक लाभार्थियों के बीच बाँटना चाहते हैं?
5. यदि आपने एक या अधिक लाभार्थियों के नाम वसीयत लिखी है, और यदि आपसे पहले उनकी मौत हो जाती है तो आपकी संपत्ति कैसे वितरित होगी; उदाहरण के लिए, यदि लाभार्थी आपकी पत्नी या पति था, तो वह संपत्ति आपके बच्चों को दी जाएगी या किसी अन्य व्यक्ति को?
6. यदि आप अपनी आस्ति/संपत्ति नाबालिगों को बिक्वीथ कर रहे हैं, तो इनके बालिग होने तक आपको संपत्ति के लिए कानूनी अभिभावक/ट्रस्टी को नामित या निर्दिष्ट करना भी आवश्यक है।

*ध्यान दें: आपके बच्चों का पालन-पोषण करने वाले को अभिभावक कहा जाता है। वह व्यक्ति जो आपके बच्चों की संपत्ति/धन की तब तक देखभाल करता है, जब तक कि वे (बच्चे) अपनी संपत्ति/धन को खुद से संभालने के लिए बड़े नहीं हो जाते, उन्हें "ट्रस्टी" कहा जाता है।*

1. आप यह भी इंगित करना चाह सकते हैं कि मृत्यु के बाद क्रिया-कर्म में होने वाले खर्च या आपकी वसीयत के निष्पादन में होने वाले खर्च या देनदारियों की चुकौती को आपकी परिसंपत्तियों से कैसे पूरा किया जा सकता है; आम तौर पर, इस तरह के खर्चों के लिए एक निश्चित राशि निर्धारित की जाती है और वसीयत में इसका उल्लेख किया जाता है।

**हस्ताक्षर (अनिवार्य)**

1. कृपया सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करें या कम-से-कम अपने आद्यक्षर (इनिशियल) करें, और दस्तावेज़ के अंत में एवं वसीयत की अनुसूचियों पर पूर्ण हस्ताक्षर करें; कृपया वसीयत पर तारीख और स्थान डालना न भूलें।
2. वसीयत पर आपका हस्ताक्षर कम-से-कम दो गवाहों की मौजूदगी में होना चाहिए। सभी पृष्ठों पर गवाहों को भी आद्यक्षर करना चाहिए, और उन्हें अंतिम पृष्ठ पर आपके हस्ताक्षर के बाद अपने पूर्ण हस्ताक्षर करने चाहिए। गवाह(गवाहों) को अपना पूरा नाम लिखना चाहिए, जैसा कि आधार कार्ड या पासपोर्ट आदि 'पहचान के वैध प्रमाण' में दर्ज है; अपने पिता का पूरा नाम लिखना चाहिए, जैसा कि आधार कार्ड या पासपोर्ट आदि 'पहचान के वैध प्रमाण' में दर्ज है; अपना आवासीय पता भी लिखना चाहिए, जैसा कि पासपोर्ट या यूटिलिटी बिल आदि 'निवास के वैध प्रमाण' में दर्ज है; अपनी नागरिकता भी लिखनी चाहिए तथा वसीयत पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख और स्थान भी डालनी चाहिए।

**निष्पादक का विवरण (वैकल्पिक)**

1. आप किसी व्यक्ति को अपनी वसीयत का निष्पादक नामित कर सकते हैं। वह निष्पादक आपकी मृत्यु के बाद वसीयत में दर्ज आपकी इच्छाओं को क्रियान्वित करेगा। आमतौर पर, वसीयत के लाभार्थी को ही निष्पादक के रूप में नामित किया जाता है; ज्यादातर शादीशुदा लोग इसके लिए अपने जीवनसाथी को ही अपनी पहली पसंद के रूप में चुनते हैं क्योंकि उसे अपनी संपत्ति के बारे में सबसे अधिक पता होता है और आम तौर पर वह व्यक्ति ही वसीयत का लाभार्थी होता है। हालाँकि, किसी तीसरे व्यक्ति जैसे कि एक भरोसेमंद दोस्त या रिश्तेदार, वकील आदि को भी निष्पादक के रूप में नामित किया जा सकता है।
2. निष्पादक का पूरा नाम लिखा जाना चाहिए, जैसा कि आधार कार्ड या पासपोर्ट आदि 'पहचान के वैध प्रमाण' में दर्ज है; अपनी उम्र लिखनी चाहिए; अपने पिता का पूरा नाम लिखना चाहिए, जैसा कि आधार कार्ड या पासपोर्ट आदि 'पहचान के वैध प्रमाण' में दर्ज है; अपना आवासीय पता भी लिखना चाहिए, जैसा कि पासपोर्ट या यूटिलिटी बिल आदि 'निवास के वैध प्रमाण' में दर्ज है; साथ ही, वसीयतकर्ता के साथ संबंध का भी वसीयत में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
3. संभव है कि आपसे पहले निष्पादक का निधन हो जाए तो ऐसी स्थिति के मद्देनजर यह उचित होगा कि एक वैकल्पिक निष्पादक का नाम भी दर्ज किया जाए। कोडिसिल के माध्यम से ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है।
4. यदि वसीयत में किसी निष्पादक का जिक्र नहीं है, तो प्रोबेट के समय अदालत निहितार्थ द्वारा एक निष्पादक को नियुक्त किए जाने पर विचार कर सकता है; उदाहरण के लिए, (वसीयतकर्ता द्वारा) लाभार्थी के रूप में नामित जीवित जीवनसाथी एक निष्पादक होगा, या वसीयत में नामित अभिभावक या ट्रस्टी को निष्पादक के रूप में माना जा सकता है।

**वसीयत का पंजीकरण (वैकल्पिक)**

1. भारत में, वसीयत को पंजीकृत करना अनिवार्य नहीं है। पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत वसीयत एक अनिवार्यतः पंजीकरण कराए जाने योग्य दस्तावेज नहीं है।
2. हालाँकि, पंजीकरण अधिनियम की धारा 18(ङ) के तहत वसीयतकर्ता संबंधित एश्योरेंस रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रार के यहाँ अपनी वसीयत को पंजीकृत कराने का विकल्प चुन सकता है, जो आमतौर पर वही कार्यालय होता है जहां संपत्ति के दस्तावेज भी पंजीकृत होते हैं।
3. पंजीकृत वसीयत को भी बाद में अपंजीकृत वसीयत द्वारा निरस्त किया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से इस बाद वाली वसीयत में पहली वसीयत को निरस्त किए जाने के कारण का उल्लेख होना चाहिए।

**स्टाम्प शुल्क**

वसीयत के संबंध में कोई भी स्टाम्प शुल्क देय नहीं है; इसलिए, स्टाम्प पेपर (न्यायिक या गैर-न्यायिक) पर वसीयत लिखना जरूरी नहीं है।

**वसीयत के लिए गवाह का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें।**

दोनों गवाह वयस्क होने चाहिए यानी उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। जब आप गवाह चुनें तो यह बात ध्यान में अवश्य रखें कि आपके बाद तक उनके जीवित रहने की संभावना है ताकि आपकी मृत्यु के बाद वसीयत को प्रोबेट कराना पड़े तो वे वसीयत की वैधता के बारे में गवाही दे सकें। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके गवाह का कोई निहित स्वार्थ या विवाद नहीं है।

**वसीयत का प्रोबेट**

प्रोबेट एक अदालती प्रक्रिया है, जिसके द्वारा वसीयत की वैधता और इस तथ्य को परखा जाता है कि यही वसीयत अंतिम वसीयत है। जब एक अदालत प्रोबेट देती है, तो अदालत न सिर्फ उस वसीयत को प्रमाणित करती है बल्कि निष्पादक को प्रबंधाधिकार-पत्र भी देती है। यह प्रबंधाधिकार-पत्र उस निष्पादक को वसीयत के शर्तों के अनुसार मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए प्राधिकृत करता है।

**सरल वसीयत (व्यक्तिगत)**

**प्रारूप हिंदी**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | मैं, श्री [अक्षय मित्तल], उम्र [50] वर्ष, धर्म [हिंदू], पिता- श्री [अनिल मित्तल], निवासी- [डी-201, वेस्टर्न टॉवर्स, गोरेगांव पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत 400063] हूँ, और मेरा आधार कार्ड नं. [7659 6753 2457 9065] है, इसके द्वारा अपनी सभी पिछली वसीयतों (या) कोडिसिल को निरस्त करता हूँ, और घोषणा करता हूँ कि यह मेरी अंतिम वसीयत है जिसे मैंने [जनवरी], [2021] के [1ले] दिन को बनाया है।  मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा जन्म [1 जनवरी 1969] को हुआ था, और मेरी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति पूर्णतः अच्छी है।  मेरे द्वारा यह वसीयत किसी भी अनुनय या जोर-जबरदस्ती के बिना और मेरे स्वतंत्र निर्णय से की गई है, और यह (वसीयत) मेरी मृत्यु के बाद प्रभावी होगी। |
| 2. | मैं एतद्द्वारा अपनी [पत्नी] श्रीमती [अनन्या मित्तल], वयस्क, उम्र [47] वर्ष, पिता- [श्री कमल परदेशी], निवासी-[डी-201, वेस्टर्न टॉवर्स, गोरेगांव पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत 400063], जिनका आधार कार्ड नं. [1239 3450 8956 7690] है, को इस वसीयत के **निष्पादक** के रूप में नियुक्त करता हूँ।  यदि मुझसे पहले श्रीमती [अनन्या मित्तल] की मृत्यु हो जाती है, तब मेरे भाई श्री [संजय मित्तल] वयस्क, उम्र [45] वर्ष, पिता- श्री [अनिल मित्तल], निवासी- [ए-2001, ओबेरॉय ग्रीन्स, गोरेगांव पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत 400063], जिनका आधार कार्ड नं. [3346 9876 5674 6733] है, इस वसीयत के निष्पादक होंगे। |
| 3. | मैं अपनी [पत्नी] श्रीमती [अनन्या मित्तल], वयस्क, उम्र [47] वर्ष, पिता- [श्री कमल परदेशी], निवासी-[डी-201, वेस्टर्न टॉवर्स, गोरेगांव पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत 400063], जिनका आधार कार्ड नं. [1239 3450 8956 7690] है, को निम्नलिखित संपत्तियाँ वसीयत में सौंपता (बिक्वीथ करता) हूँ।  1. फ्लैट संख्या डी-201, वेस्टर्न टॉवर्स, गोरेगांव पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत 400063 में मेरे द्वारा धारित 50% अधिकार  2. [भारतीय स्टेट बैंक], गोरेगांव शाखा में स्थित मेरे बचत बैंक खाता संख्या [5467897734297000] का बैंक बैलेंस  3. [भारतीय स्टेट बैंक, गोरेगांव शाखा, मुंबई 400063] में बैंक लॉकर नंबर [एल-213] में रखी गई वस्तुएँ  4. [हिसार ग्रीन्स, वेस्ट लिंक रोड, हिसार, हरियाणा] पर स्थित आवासीय प्लॉट संख्या [ए-901]  5. मेरी [टोयोटा कोरोला] कार जिसकी पंजीकरण संख्या [MH 47 AB 1234] है  6. [आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड] के पास लाभार्थी खाता संख्या [3420670] में मेरे द्वारा धारित [भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड] के 25,340 शेयर  7. अन्य कोई भी संपत्ति जिसका इस वसीयत में उल्लेख नहीं है, लेकिन जिसका मैं मालिक हूँ।  उपरोक्त सभी आस्तियों एवं संपत्तियों का स्वामित्व पूरी तरह से मेरे पास है।  मेरी [पत्नी], [अनन्या मित्तल] को अपने जीवनकाल में अपनी मर्जी से, और किसी भी अन्य व्यक्ति का सहारा या अनुमोदन या सहमति या अनुमति लिए बिना, किसी भी समय मेरी वसीयत में उन्हें बिक्वीथ की गई किसी भी उक्त चल और/या अचल आस्तियों/संपत्तियों को बेचने या रेहन रखने या बंधक रखने (मॉर्गेज करने), बिक्वीथ करने या अंतरित करने का पूर्ण अधिकार होगा। |
| 4. | यदि मुझसे पहले श्रीमती [अनन्या मित्तल] की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित संपत्तियाँ इन्हें बिक्वीथ करता हूँ:  क. मेरी [पुत्री] सुश्री [अंकिता मित्तल], उम्र [22] वर्ष, निवासी- [डी-201, वेस्टर्न टॉवर्स, गोरेगांव पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत 400063] को, जिसका आधार कार्ड नंबर [3599 1280 9875 6754] है:  1. [भारतीय स्टेट बैंक, गोरेगांव शाखा, मुंबई 400063] में बैंक लॉकर नंबर [एल-213] में रखी गई वस्तुएँ  2. [हिसार ग्रीन्स, वेस्ट लिंक रोड, हिसार, हरियाणा] पर स्थित आवासीय प्लॉट संख्या [ए-901]  3. [आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड] के पास लाभार्थी खाता संख्या [3420670] में मेरे द्वारा धारित [भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड] के 25,340 शेयर  ख. मेरे [पुत्र] श्री [अंकित मित्तल], उम्र [20] वर्ष, निवासी- [डी-201, वेस्टर्न टॉवर्स, गोरेगांव पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत 400063] को, जिसका आधार कार्ड नंबर [3599 1280 9875 6754] है:  1. फ्लैट संख्या डी-201, वेस्टर्न टॉवर्स, गोरेगांव पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत 400063 में मेरे द्वारा धारित 50% अधिकार  2. [भारतीय स्टेट बैंक], गोरेगांव शाखा में स्थित मेरे बचत बैंक खाता संख्या [5467897734297000] का बैंक बैलेंस  3. मेरी [टोयोटा कोरोला] कार जिसकी पंजीकरण संख्या [MH 47 AB 1234] है  4. 7. अन्य कोई भी संपत्ति जिसका इस वसीयत में उल्लेख नहीं है, लेकिन जिसका मैं मालिक हूँ।  उपरोक्त सभी आस्तियों एवं संपत्तियों का स्वामित्व पूरी तरह से मेरे पास है।  यदि आपकी पुत्री या पुत्र नाबालिग है, तो आप उपरोक्त के बाद इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं:  *"मैं अपनी पत्नी/अपने पति श्रीमती/श्री [नाम], निवासी- [पता], जिनका [आधार कार्ड नं./पासपोर्ट सं.] है, को अपनी पुत्री/पुत्र [नाम] के अभिभावक के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ।* *उपरोक्त सभी आस्तियों एवं संपत्तियों का स्वामित्व पूरी तरह से मेरे पास है।”* |
| 5. | वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर  [अक्षय मित्तल]  पिता- अनिल मित्तल  डी-201,वेस्टर्न टॉवर्स, गोरेगांव पूर्व,  मुंबई, महाराष्ट्र,  भारत 400063  आधार कार्ड नं. [7659 6753 2457 9065]  [मुंबई]  [1-1-2021]  *(यदि वसीयत में कई पृष्ठ हैं, तो कृपया सभी पृष्ठों पर अपने आद्यक्षर करें)* | |
| 6 | हम एतद्द्वारा अभिप्रमाणित करते हैं कि श्री [अक्षय मित्तल], उम्र- [50] वर्ष, धर्म- [हिंदू], पिता- श्री [अनिल मित्तल], निवासी- [डी-201, वेस्टर्न टॉवर्स, गोरेगांव पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत 400063], जिनका आधार कार्ड नंबर [7659 6753 2457 9065] है, ने स्वयं की और हमारी संयुक्त उपस्थिति में अपनी अंतिम वसीयत के रूप में [1-1-2021] को [मुंबई] में इस वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं।  वसीयतकर्ता ने यह वसीयत अपने पूरे होशो-हवास में और बिना किसी जोर-जबरदस्ती के बनाई है।    [नवीन कुमार]  पुत्र- [सूरज कुमार]  डी-403,वेस्टर्न टॉवर्स, गोरेगांव पूर्व,  मुंबई, महाराष्ट्र,  भारत 400063  आधार कार्ड नं. [8907 5642 1167 7789]  [मुंबई]  [1-1-2021]  [करण मल्होत्रा]  पुत्र- [ए पी मल्होत्रा]  1006, गैलेक्सी टॉवर्स, मलाड पूर्व  मुंबई, महाराष्ट्र,  भारत 400097  आधार कार्ड नं. [9088 7655 4322 1156]  [मुंबई]  [1-1-2021] | |

***ध्यातव्य:***

1. *उपरोक्त प्रारूप इस्लाम को छोड़कर सभी भारतीय धर्मों के लिए उपयुक्त है; मुसलमानों पर शरिया लागू होता है और उन पर इस कानून के तहत संपत्ति को बिक्वीथ करने पर प्रतिबंध है।*
2. *उपरोक्त एक कानूनी सलाह के बदले में नहीं है, और आपके द्वारा बनाई गई वसीयत की विषय-वस्तु के लिए Will & More की कोई जवाबदेही नहीं है।*
3. *यदि आपको अपनी वसीयत तैयार करने में वकील की सहायता अपेक्षित है, तो कृपया हमें assistance@willsandmore.com पर लिखें।*